श्री हिमांशु शर्मा, जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2015 को कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण संबंधी आहूत बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार ।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा बताया गया कि अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध/15/2010 सो0 189 दिनांक 04.03.2015 के क्रम में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजनार्थ एवं अन्य कार्यालयों में भविष्य में होने वाले कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) का कोटिवार पैनल निर्माण हेतु दिनांक 31.03.2015 तक ONLINE आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे । प्राप्त आवेदन के क्रम में आवेदकों का काउन्सिलिंग निर्धारित कार्यक्रमानुसार कराया गया ।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 26.07.2015 को अररिया जिला मुख्यालय स्थित कुल 13 परीक्षा केन्द्रों पर लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें कुल 3626 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे । परीक्षोपरान्त पदाधिकारियों की टीम गठित कर सभी उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच कराई गई तथा दिनांक 24.08.2015 को सभी 3626 परीक्षार्थियों का लिखित परीक्षा का परीक्षाफल जिला के आधिकारिक बेवसाईट पर प्रकाशित की गई ।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 531, दिनांक 01.06.2015 के कंडिका-6 में उल्लिखित है कि "दक्षता जाँच हेतु कम्प्युटर टाइपिंग टेस्ट में Ms Word, Ms Excel, Power Point, Internet इत्यादि के ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य रूप से ली जाय ।" अतएव टाइपिंग टेस्ट हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जाना है ।

इस संबंध में बैठक में चर्चा की गई तथा विमर्शोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि सभी 3626 परीक्षार्थियों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परीक्षाफल देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं, जिनका प्राप्तांक अत्यंत ही कम है । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त परीक्षार्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाय ।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 3/एम0-63/2005 का0- 2374, दिनांक 16.07.2007 के कंडिका-(7) में उल्लिखित है कि "विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारित संकल्प संख्या 15838, दिनांक 22.12.90 एवं 10258, दिनांक 05.08.91 द्वारा सामान्य वर्ग- 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग- 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1- 34 प्रतिशत,

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग-32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारित सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा ।''

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के उक्त संकल्प में निहित निदेश के आलोक में अर्हतांक प्राप्त परीक्षार्थियों का टाइपिंग टेस्ट के लिए कट-अप मार्क्स के आधार पर सूची तैयार की जाय । जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया एवं जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को निदेश दिया गया कि वे सूची तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला के आधिकारिक बेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे । बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के उपरान्त टाइपिंग टेस्ट हेतु तिथि एवं कार्यक्रम का निर्धारण जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर सुनिश्चित करेंगे ।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई ।

24.8.15 अपर समाहर्त्ता, अररिया	24/8 उप विकास आयुक्त, अररिया	24/8/15 पुलिस अधीक्षक, अररिया	24/8/15 जिला पदाधिकारी, अररिया
24/08/15 जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया	Vikash Kumar 24/08/2015 डी0 आई0 ओ0, एन0आई0सी0 अररिया	उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया	24/8/15 जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 855/स्था0, अररिया, दिनांक 07 वीं0 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि : सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के आलोक में अनुपालनार्थ प्रेषित ।

7/9/15
जिला स्थापना उप समाहर्त्ता,
अररिया